AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science
ISSN (E):2583:1348, ISSN(P): 2582:8800 | A Peer reviewed | Open Accsess & Indexed
Volume 03 | Issue 01| January 2022| ***www.agpegondwanajournal.co.in*** | Page No. 05-08

भारतिय मुलनिवासीयोंका संवैधानिक स्थान

Dr. Sudhir Pandey
Assistant Professor
Department of Political Science
D.S.V.K Patil Mahavidyalaya Chandrapur, M.S

सारांश:

भारतीय संविधान निर्माता समिति ने मूलनिवासियों की भारत देश में कोई परिभाषा नहीं की है और ना ही उसको संविधान में उद्घोषित किया है। दुनिया में 9 अगस्त को मूलनिवासी दिन के रूप में मनाया जाता है परंतु भारत यह संवैधानिक तरीके से मूलनिवासियों का अधिवास भारत देश को नहीं मानता और ना ही उसे मूलनिवासियों के देश में मान्यता देता है। इस भारत देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग अपने आप को मूलनिवासी कहते हैं। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त कहा जाता है जो उच्च वर्णियों द्वारा संक्षेप्ति है। यह सिद्ध कैसे किया जाए कि भारत यह मूलनिवासियों का देश है, या यहां मूलनिवासी रहते हैं।

प्रस्तावना:

भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिंह राव इन्होंने अपने कार्यकाल में भारत में मूलनिवासी नहीं है ऐसा यूनाइटेड नेशंस (UN) को अपने कार्यालय व्दारा खत में लिख कर भेजा था। क्या सचमुच इस भारत नामक देश में मूलनिवासी रहते थे या नहीं यह भ्रम पैदा करने वाला प्रश्न है। अगर होता तो संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर उनके द्वारा बनाए गए संविधान में यह देश मूलनिवासियों का है ऐसा उद्घोषित करते और संविधान में उसका अस्तित्व दिखाई देता।

अमेरिका को नया आयाम वहां आकर बाहर के देशों के लोगों ने दिया परंतु उन्हीं लोगों ने वहां के प्राचीन मूलनिवासियों का कत्लेआम करके उनका अस्तित्व नष्ट कर डाला। अफ्रीका यह देश वर्तमान में भी अस्तित्व में है जो वहां के मूलनिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है अफ्रीका के संविधान में वहां के मूल निवासियों का अस्तित्व मंजूर किया

CORRESPONDING AUTHOR:	REVIEW ARTICLE
Dr. Sudhir Pandey Department of Political Science D.S.V.K Patil Mahavidyalaya Chandrapur, M.S Email: sudhir.pandey77@gmail.com	

है और उनके संविधान में उसे मान्यता देकर उद्घोष इत किया है ऑस्ट्रेलिया यह हिंद महासागर में एक देश है और वहां पर भी प्राचीन ऑस्ट्रेलियाई मूलनिवासी है और वहां के सविधान में उन्हें मान्यता है। अंडमान, निकोबार, जावा, सुमात्रा, बोर्निओ जो आइलैंड गोंडवाना ट्रैक पर बसे है। वहां अभी भी वर्तमान में प्राचीन मूल निवासियों का अस्तित्व है और उन्हे मान्यता देकर उसे घोषित करते है कि अंडमान, निकोबार, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो में मूलनिवासी रहते हैं और वह देश उनका अधिवास है।

संशोधनके उद्देश:

1. भारतिय मुलनिवासीयोंका संवैधानिक स्थान समझना।
2. मुलनिवासीयों के आर्थिक-सामाजिक समस्यांओं का अध्ययन।

विश्लेषन:

अंग्रेजों ने यहां पर व्यापार किया पैसा कमाया जनता पर अन्याय किया, गुलाम बनाया यहां तक ठीक है परंतु उन्होंने नव भारत के इतिहास, संस्कृति और भाषा के साथ मूलनिवासियों के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचाया और ना ही उन्होंने मूलनिवासियों का कत्लेआम किया, ना अस्पृश्यता और जातिभेद किया। उन्होंने प्राचीन धरोहरों को बचाने के लिए पुरातत्व विभागों की रचना कर इस पर संशोधन कर जानकारियां संरक्षित किए यहां तक उन्होंने इस नवभारत देश में सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार कर रखी है। हमें अत्यंत दुख: और खेद पूर्ण कहना पड़ता है कि, नवभारत के निर्माता समिति जिन्हें कहां गया उन्होंने इस नवभारत देश के मूलनिवासियों की अनदेखी की; उन्होंने इस नवभारत देश में आने वाले तुर्क, मुगल, फ्रेंच, डच, ब्रिटेन, पुर्तगाल आदि शासकों की भाषा - संस्कृति - अस्तित्व - इतिहास तथा कानून कायदों को संविधान द्वारा मान्यता देकर संविधान में उसे उद्घोषित किया परंतु इस देश के प्राचीन मूलनिवासियों के अस्तित्व को ही नकार दिया है। इसलिए इस नव भारत देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिंह राव ने यूनो (UN) को अपने खत में कहा है कि नव भारत देश में मूलनिवासी है ही नही ! भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकरजी को हम आदर और सम्मान देते हैं परंतु यह भी कटु सत्य है कि उन्होंने वोटिंग और रिजर्वेशन के सिवाय इस देश के मूलनिवासियों का अस्तित्व संविधान में नकारा है, उसे मान्यता नहीं दी और ना ही उनके अस्तित्व को भारत देश में उद्घोषीत कर स्वीकारा। यह कुठाराघात, वज्रपात एवं अस्तित्व हिनता इस नव भारत के मूलनिवासियों पर संविधान द्वारा किया गया है। भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने उच्च शिक्षा इंग्लैंड में करते हुए बैरिस्टर पदवी प्राप्त कर धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र ऐसे विषयों पर प्रचंड ग्रंथ लिखे अभ्यास किया परंतु प्रश्न यह उठता है कि उन्होंने इस देश के प्राचीन मूलनिवासियों पर अभ्यास क्यों नहीं किया? संविधान लिखते समय इस विषय को महत्व देना उन्होंने अतिआवश्यक क्यों नहीं समझा? उसे दुर्लक्षित क्यों किया? उन्होंने अपने संविधान के भाषण में कहा है कि " मी फक्त अनुसूचित जातीच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याची आकांक्षा धरून घटना परिषदेत आलो " भारतीय राज्यघटना लेखक डॉ. बी. आर. आंबेडकर अनुवाद - तुलसी पगारे, सुगत प्रकाशन - नागपुर 17। उनके उद्घोषन से यह स्पष्ट होता है कि वह सिर्फ और सिर्फ 'दलित जाति' के

लिए समर्पित थे ना कि इस देश के प्राचीन मूलनिवासियों के लिए इसलिए भारत सरकार ने 1950 से संविधान लागू हुआ तब से इस नव भारत के संविधान भाग- ३, भाग - ६, और भाग- ८ के कलमो को 2020 तक लागू नहीं किया चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा की सरकार हो उन्होंने इस देश के मूलनिवासियों के अधिकारों को उन्हें दिया ही नहीं। इतना ही नहीं भारत की पहली लोकसभा में हो रहे संभाषण को डॉ.अंबेडकर राइटिंग एंड हिज स्पीचेस - भाग 1 से 13 खंड में मिस्टर हंटर के प्रश्नों के तहत डॉ. अंबेडकर ने स्वतंत्र भाषाई प्रांत रचना में इस मूलनिवासी जनजाति को स्वतंत्र प्रांत देने से इनकार किया जो प्राचीन काल से था। यहां भी घोर अन्याय किया गया है।

इस नव भारत देश से मूलनिवासियों को समाप्त करने का षड्यंत्र भारतीय संविधान बनाते समय से ही शुरू हुआ था। भारत का संविधान- संपादक प्रदीप गायकवाड 2018 , दिक्षाभूमी, लष्करीबाग,नागपुर 17 इनके संविधान पृष्ठ 27 सायमन कमिशन चॅप्टर - भाषा, संस्कृति के आधार पर प्रांत रचना नहीं की जाए अंबेडकर जी का विरोध था किए भाषावार प्रांत ना बने परंतु उन्हीं के अंतर्गत भाषावार प्रांत रचना नवभारत में की गई है। गोलमेज परिषद 12 नवंबर 1930 अस्पृष्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को (भारतीय राज्यघटना पृष्ठ क्रमांक 27) मान्यता मिली परंतु भारत के मूलनिवासी गोंडगण समूदाय जो चार्तुवर्ण व्यवस्था का भाग नही थे उन्हे स्वतंत्र अस्तित्व भारतिय संविधान मे नही दिया गया। 14 नोव्हेंबर 1949 मे संविधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सभा हुई वहां पर मध्यप्रांत और बेरार (Central Province & Berar) से एक भी आदिवासी को नियंत्रित नहीं किया गया (भारतीय संविधान पृष्ठ 36 निमंत्रित प्रांतों के सदस्य) । भारत की प्रथम लोकसभा संसद सदस्य 1) राजा लालशाम शाह मडावी- पानाबरस 2) राजा विश्वेश्वरराव आत्राम - अहेरी, महाराष्ट्र इन्हे नही बुलाया गया।

पाना बरस के राजा लाल श्याम शाह लोकसभा सदस्य ने भी जनता द्वारा ठहराव पारीत कर स्व. पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया था कि, प्राचीन गोंडवाना प्रांत आदिवासियों के लिए दिया जाए जिसमें वे लोग रहते थे। बार-बार ज्ञापन और मुलाकाते इस विषय पर करने पर भी भारत सरकार (तत्कालीन कांग्रेस) ने उस समय जानबूझकर आदिवासियों की मांग को तुच्छता पूर्वक कचरे के टोकरी में फेंक दिया हालांकी उसके बाद के सरकारों ने भी वही काम किया । संविधान बनाते समय मे भी संविधान निर्माता समिति ने जानबूझकर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को संविधान में नकारा है। उसके बाद आने वाली सरकारों में आदिवासियों ने चुन कर दिए प्रतिनिधियों ने आदिवासियों को धोखा ही दिया, वह सिर्फ अपने सरकार का अजेंडा चलाते रहे और आदिवासियों के विकास राशियों की मलाई हजम करते रहे। वर्तमान की 21वीं सदी में भाजपा की सरकार है, भारत के 2014 से चल रही सरकार के प्रधानमंत्री क्या गुल खिलाते हैं यह भी देखें । यह सरकार सच्चाई की आवाज उठानेवालों का अब बेधड़क एनकाउंटर करती है, आपको राष्ट्रद्रोही कहती है! तो क्या आप घबराकर अपने हक को मांगेंगे नहीं ? क्या आप डर जाएंगे? । If you know the truth, truth shall make me free! हमे इसे समझना होगा, स्विकारना होगा । भारत स्वतंत्रता में अंग्रेजों ने भी राष्ट्रद्रोह का इल्जाम सत्यवादीयों के ऊपर लगाया था परंतु वे घबराए नहीं । राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, वीर बाबूराव सेडमाके, राजा नरेंद्र भंजदेव, कुमरामभीमू, शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्य के लिए बलिदान देनेवाले इन शूरवीरों को याद करो सत्य सत्य ही रहता है । उस पर अडिग रहो।

अब आदिवासीयों ने अपने हक्क को प्राप्त करने के लिऐ "तेलंगाना राज्यनिर्माण" मूवमेंट को अपना आदर्श मानकर जागृत होकर आगे बढ़ना चाहिए। आदिवासियों को अपने संवैधानिक अधिकार एवं मानवता के मूल अधिकार , भारतीय संविधान भाग - 3 भाग - 6 और भाग- 8 के भागों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आमदार , खासदार , मंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति और गैरआदिवासी संघटनाओं के तरफ से मदद मिलने वाली नहीं है । सब अपने मतलब के साथी है अगर आप इस देश के मूलनिवासी है तो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो।

निष्कर्ष:

मार्टिन लूथर किंग, नेलसन मंडेला - अफ्रिका, आंग सांग सू ची- थाईलैंड आदि लीडरों ने अपने लोगों को जागृत कर अपना हक पाया है। आदिवासियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध सहकार्य देनेवाले नहीं और ना ही वे आपको आपके मूलअधिकार मिलाकर देंगे ; ना ही वे आपका धर्म, प्रांत और भाषा को सरकार से झगड़ कर मिला कर देंगे। आपको अपना हक खुद मिलाना होगा किसी पार्टी- पक्ष या सामाजिक संघटनाओं पर भरोसा मत रखो वह आपके अज्ञानता का फायदा उठाकर राजनीति कर रहे हैं। इसे समझो वास्तव में आपको स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक का जीवन पाना है, तो याद रखो जिन शूरवीर आदिवासियों ने अपने हक्क के लिए अपना खून बहाया है उनकी इज्जत करो। मैं आशा करता हूं कि, आने वाले दिनों में आपसे भी जो आदिवासी विकास योजना के सरकारी लाभार्थी है वें अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए आदर्शवान बनो और इस भारत देश में और भारतिय संविधान मे आपका भी अस्तित्व बना रहे और आपकी इज्जत बनी रहे इसके लिए प्रयासरत रहो। आदिवासियोंने हम इस नवभारत के मूलनिवासी है यह सिद्ध करके दिखाना अनिवार्य है ।

संदर्भ:

1) भारतीय संविधान मूल ग्रंथों लोक सभा सचिवालय।
2) कांस्टीट्यूएंट असेंबली डिबेट्स खंड 1 से 10 नई दिल्ली।
3) आउटलाइन ऑफ़ इंडियन लीगल हिस्ट्री वाधवा एंड कंपनी नागपुर।
4) एक आदिवासी - लाल श्याम शाह, पानाबरस, छत्तीसगढ़।
5) कंगला मांझी जीवन चरित्र, छत्तीसगढ़ ।
6) हंटर कमीशन रिपोर्ट।
7) ठक्कर बाप्पा कमिशन रिपोर्ट।
8) सविधान निर्माण समिति सदस्य यादी।
9) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस - खंड 2 से 13 ।
10) कांग्रेस का इतिहास- बलदेव गुप्ता.

■ ■ ■